



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या -1862/2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. मोहन पुत्र गंगाराम
2. जगदीश पुत्र गंगाराम
सत्यमेव जयते

समस्त जाति रेगर निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. देबीलाल पुत्र हरजी जाति कुमावत
 2. घीसालाल पुत्र देबीलाल कुमावत
 3. गणेश पुत्र देबीलाल कुमावत
 4. दुर्गा पुत्र लादू दरोगा
 5. हीरा पुत्र भूरा कुमावत
- समस्त निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक:-4.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पिपलाज में पेश हुई।
वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है-

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2073-76 के खाता स. 620 के खसरा नम्बर 2782/2577 रकबा 1.61 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य में आ रही है जिसमें अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजीयात में कभी भी कोई वास्ता सरोकार न तो रहा है ना वर्तमान में है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की नियत बद है तथा नाजायज व अनाधिकृत रूप से नियम व कानून के विरुद्ध वादवर्णित आराजीयात को कब्जा करने व वादीगण को बैदखल करने पर आमादा है। जिसके कारण वादी द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट पिपलाज में पेश हुई। पैरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया। प्रस्तुत जवाब सरकार में वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 4 को स्वीकार किया गया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी, कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजीयात में कभी भी कोई वास्ता सरोकार न तो रहा है ना वर्तमान में है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2073-76 के खाता स. 620 के खसरा नम्बर 2782/2577 रकबा 1.61 हैक्ट भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी